1/2019 किस्म .... उनवान .....

ालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

	पत्रावली आज जरूरत तारीख पेशी से पेश हुई। बाबी वकील उपस्थित। प्रकरण में रैरी कार सरकार से जवाब अप्राप्त। तहसीलदार हिण्डौन को जवाब हेतु पुनः लिखकर पत्रावली वास्ते जवाब दि० 23-9-2021 को पेश हो।
23/9/21	पत्रावली पेश हुई। बकुलाल उपस्थित। पत्रावली पूर्व कुमार वास्ते जवाब दिनांक 8-10-21 को पेश हो।
8/10/2021	पत्रावली पेश हुई। बकुलाल उप० पैरोकार सरकार से जवाब अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इंट कार जवाब दि० 3-1-2022 को पेश हो।
3/1/22	बकुलाल उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर। पत्रावली है। वादानुसार दिनांक 31-3-22 को पेश हो।
31/3/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उप० नहीं। प्रकरण में वादी व वादी वकील को बार-बार आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः वादी बाबूलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बैकार शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.18 12:41:30
Reason: SelfAttested